सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बम्बई में संयुक्त अधिवेशन

महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल

श्री. अली यावर जंग

का

# अभिभाषण

१५ मार्च १९७१

माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यो,

महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद से आज दूसरी बार मुझे विधान मंडल के मिलेजुले इजलास को निवेदन करने की इज्जत मिली है। मैं आप सबका पूरे दिल से स्वागत करता हूं।

२. माननीय सदस्यो, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अनाज के इतने सख्त अकाल और माली मुश्किलों के होते हुए भी मेरी हुकूमत ने अपनी इस घोषित नीति को बड़े जोर और इरादे के साथ आगे बढ़ाया कि आर्थिकी के हर मैदान में पैदावर बढाई जाय। खेतों, कारखानों और दफ्तरों में काम करनेवाले छोटे आदमियों की आर्थिक हालत संभाली और सुधारी जाय। राज्य के पिछडे इलाकों की आर्थिक उन्नति में तेजी पैदा की जाय और समाज के उन सदस्यों को जो दूसरों से कम खुशहाल हैं, शिक्षा, घरबनाई और देहात में पानी और कृषि के पंप के जरिये से ज्यादा आसानियां पहुंचायी जाय। शहरों की नयी और बढ़ती हुई समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है और उन्हें देखते हुए ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं जैसे खाड़ी के पार समुद्र के किनारे पनवेल, थाना और उरण में द्वि-नगरी का प्राजेक्ट। कोल्हापूर और नासिक के जिलों में इलाकावारी विकास की योजनाएं और औद्योगिक स्थानों से जो मैला बहकर पानी को गंदा करता है उसकी रोकथाम। इनके अलावा शासन का इरादा है कि इस साल अपनी उन सारी नीतियों और कार्यक्रमों को पूरी तरह आगे बढ़ाये जिनसे राज्य की सारी जनता की जिन्दगी का प्रमाण उंचा हो सके।

३. खरीफ के जमाने में बेमौसमी बरसात और उसके साथ साथ कीटाणुओं और नाशिकीटों के फैलाव से जवार और रुई की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा और तिलहनों की पैदावर भी घट गयी। फिर बेमौसमी और देर तक के जाड़े ने रबी की फसल को भी बीच खेती के वक्त बड़ा नुकसान पहुंचाया। राज्य के २६ जिलों में से २१ जिलों में करीब करीब १९,००० गांव को इस तरह अभाव का सामना करना पड़ा। शासन ने तेजी और पक्के इरादे के साथ इसका इंतजाम किया कि इन इलाकों में जो लोग बेरोजगार हो गये थे उन सबको काम दिया जाय और सहायता के ऐसे काम चालू किये जायं जिनसे राज्यकी कृषि की पैदावार में फकत एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बढ़ावा हो। अभाव का मुकाबिला करने के लिए छोटे सिंचाई पारकोलेशन के तालाबों, खेतों, बांधों और जमीन और पानी को बचाने के काम बड़े पैमाने पर हाथ में लिये गये हैं। १६ जिलों के ऐसे कार्यक्रमों की जांच कर ली जा चुकी है और उनको पूरा करने के लिए पहले पहल २.३ करोड़ रुपये दिये गये हैं जहां मामूल के मुताबिक तकावी के कर्जों के लिए ३.५६ करोड़ मंजूर किये गये थे वहां इस रकम के अलावा अब एक करोड़ जायद दिये जा रहे हैं। सहायता की ये योजनाएं इस तरह बनायी गयी हैं कि अप्रैल और मई के चोटी के महीनों में ज्यादा से ज्यादा १० लाख आदमियों के लिए काम निकल आय।

४. खरीफ की फसल को इस अभाव से और रबी की फसल को जाड़े से जो सख्त नुकसान हुआ उससे डर है कि १९७०-७१ की जुमला अनाज की पैदावर फकत ६ या ६॥ मिलियन टन ही होगी। रुई की पैदावर को भी जो सख्त नुकसान पहुचा है उससे अंदेशा यह है कि रुई ६ लाख बेल्स से ज्यादा नहीं होगी जो मामूल की आधी है। तिलहनों और गन्ने की पैदावार भी शायद इसी तरह कम हो जाय। जवार की फसल के इस तरह के खतरे में पड़ जाने से अनाज की

कीमत बढ़ गयी है। शासन ने इसका मुकाबला करने के लिए गेहूं और गेहूं की बनी हुई गिजाओं की सरबराही को जारी रक्खा है और शक्कर के राशन को बढ़ाते हुए करडी और वेजिटेब्ल तेलों को सस्ती क़ीमतों पर बांटने का इंतजाम किया है। राज्य के बाहर जहां जहां बाजरा और जवार पैदा होता है वहां से उसके बिना महसूल लाये जाने की इजाजत दी गयी है ताकि खुद हमारे पास इन अनाजों का जो जकीरा है वह बढ़ जाय।

५. जैसा कि आप जानते हैं शासन ने यह फैसला किया है कि अगली योजनाएं जिले की नीव पर बनायी जाय यानी जिले को योजनाओं का यूनिट समझा जाय। इसके लिए जो तैयारियां होनी थीं वह अब पूरी हो चुकी हैं और हर जिले से उसकी आर्थिकी के बारे में जो भी तफसील मालूम करनी थी वह जमा कर ली गयी हैं। इससे हमको यह मालूम हो जायगा कि हर जिले का आर्थिक विकास अब इस वक्त किस मंजिल पर है और इस तरह यह साफ दिखाई देगा कि कौनसे जिले दूसरों के मुकाबिल में अपनी आर्थिकी के जरुरी कामों में अभी पीछे हैं। कई टीमें इसलिए बनायी गयी हैं कि वह हर जिले के साधनों को जांचे और बताये कि उनके आर्थिक क्षेत्र में विकास की क्या संभावना है। मुझे आशा है कि इन टीमों की रिपोर्ट इसी वित्त वर्ष के आखिर तक पेश कर दी जायगी। शासन का इरादा है कि जिलेवारी और राज्य की १५ वर्षीय योजना के बनाने का जो फैसला हुआ है उसे पूरा करने के लिए जो भी काम बाकी रह गया है उसे हाथ में ले लिया जाय।

६. सारे हिन्दुस्तान में जो काश्त की जमीन है उसमें पानी की सिंची हुई जमीन का औसत केवल २३ फीसद पडता है जिसके मुकाबिल में हमारा औसत फकत ८ फीसद है। कार्यक्रमों में इस तरह सबसे पहला काम यह है कि जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर पानी की सारी संभावना का विकास किया जाय। इस वक्त पानी की सिंचाई की जिन स्कीमों पर काम हो रहा है उनकी जुमला लागत ५१२ करोड़ रुपये है और १९७० से १९७१ में सिंची हुई जमीन का रकबा १६.८९ लाख से १८.७० लाख हेक्टर तक पहुंच गया है।

७. बड़ी पैदावार देने वाली जवार, बाजरे, चावल और गेहूं की काश्त को हमारे किसान बढ़ती हुई तादाद में पसंद करने लगे हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार कोशिश हमारे कारकूनों ने की है उसकी वजह से तवक्खो है कि इन ज्यादा पैदावार देनेवाले अनाजों की काश्त की हुई जमीन १९७०-७१ के दौरान में ९.७० से बढ़कर १४.९४ लाख हेक्टर को पहुंच जायगी। इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इन ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों की काश्त का रकबा इस तरह नहीं बढ़ता तो बेमौसमी बरसात और दूसरे बुरे हालात से इस साल फसल में जो कमी हुई है वह बहुत ज्यादा होती।

८. डेरी उद्योग के उन देहाती इलाकों में विकास से जहां दूध के मवेशी पाये जाते हैं वहां के रहने वालों को एक ऐसा जायद काम मिल गया जिससे उनको बहुत फायदा पहुंचता है। इस वक्त देहात और शहरों में दूध की सप्लाई की कई स्कीमें काम कर रही हैं। इस जरुरी क्षेत्र में काम को और भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की गयी है कि डेरी की चलनेवाली स्कीमों के लिए बैंकों से मदद ली जाय और स्टेट बैंक आफ इण्डिया इस बात पर राजी

हो गया है कि ५० लाख के खर्च से देहात में डेरीवालों को दूध देनेवाले मवेशी खरीदकर कर्ज पर दिये जाएं। जलगांव के जिले के लिए एग्रीकल्चरल फाइनान्स कारपोरेशन ने डेरी के विकास की एक इन्टीग्रेटेड को-आपरेटिव स्कीम मंजूर की है जिसकी लागत १.२ करोड रुपये है। जलगांव जिले की इस स्कीम से यह मुमकिन हो गया है कि दूसरे जिलों में भी जहां डेरी के विकास की संभावना पायी जाती हो ऐसी ही स्कीमें अगले साल शुरू की जाय।

९. हमारे समुद्र के बड़े किनारे और हमारे इलाके में समुद्र का जो हिस्सा है उसके गहरे पानी में मछली के साधनों की जो संभावना है उसके विकास से यह आशा की जा सकती है कि अपनी जरुरतों को पूरा करते हुए भी हम श्रिम्प जैसी मछलियों को पकड़ कर डालर वाले मुल्कों में भेज सकेंगे और एक्सपोर्ट के इस बाजार के एक बडे हिस्से पर कब्जा कर सकेंगे। अब तक मछली पकडने वालों को कर्ज देने की जो स्कीम थी और जिसमें इमदाद का भी एक हिस्सा शरीक था उसके अलावा अब इस पर जोर दिया जा रहा है कि खास खास इलाकों के लिए जोड़-मेल स्कीमें बनायी जायं। रत्नागिरी और थाने के लिए एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन ने ९०.७ लाख की लागत की ऐसी दो स्कीमें मंजूर की हैं और मालवण और कोलाबा के लिए भी दो स्कीमों पर गौर किया जा रहा है। तजबीज यह भी है कि समुद्र के गहरे पानी में मछली पकड़ने की संभावना और विकास का सर्वे किया है।

१०. छोटी खेतीवालों को जाती बाउलियाँ और दूध देनेवाले जानवर देकर बेफायदा काश्तकारी से फायदामंद उत्पादक और अपनी जिन्दगी का निर्वाह करने के काबिल बना देने के लिए इस राज्य ने 'छोटे भूमिधारी ब्लाकों' की स्कीम जारी की जो हिन्दुस्तान भर में इस किस्म की पहली तजबीज थी। ऐसे १६ ब्लाक इस वक्त काम कर रहें हैं। हिन्द सरकारने अब हमारी ही इस स्कीम को सारे देश में जारी कर दिया है जिससे छोटी खेतीवालों, सबसे छोटी खेतीवालों और कृषि कामगारों को लाभ मिलेगा। छोटी खेतीवालों के लिए रत्नागिरी, सतारा, थाना, नासिक और भंडारा के जिलों में तीन और सबसे छोटी खेतीवालों और कृषि कामगारों के लिए रत्नागिरी, सतारा और परभणी के जिलों में दो ऐसी स्कीमें हिन्द सरकार ने मंजूर की हैं और उनके लिए १२.२९ लाख रुपये इमदाद के तौर से उन एजेन्सियों के लिए मंजूर किये हैं जिनके सुपुर्द यह काम किया गया है ताकि वह इस इमदाद के सहारे से कर्ज देनेवाले इदारों से मदद ले सकें।

११. महाराष्ट्र में कृषि का काम बरसात के साथ जुआ खेलने के बराबर है। तीन वर्ष में एक बार चन्द इलाकों में बरसात और फसल का अकाल जरूर होता है और कई दूसरे इलाकों में तो अधिक पानी पड़ता है, बाढ़ आती है और इस तरह गोया एक भीगे अकाल का सामना करना पड़ता है। मानसून के सनकी मिजाज को छोड़कर भी हमारे ९ जिलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए भी हमेशा पानी को तरसता रहता है कि वहाँ या तो वर्षा बहुत कम होती है या ऐसी औकाली वर्षा होती है जिसके वक्त का कोई ठिकाना ही नहीं। हिन्द सरकारने सेन्टर की तरफ से एक स्कीम बनायी है जिससे ऐसे इलाकों को खास तौर से इमदाद दी जायगी जो इस तरह हमेशा सूखे का शिकार बने रहते हैं। इस स्कीम का मंशा यह है कि जमीन की तरी को बचाने, काम में लाने और उनके विकास पर ऐसा जमकर काम हो कि उससे चंद

वर्षों में जमीन की खासियत ही बदल जाय। १९७०-७१ में हिन्द सरकार ने चंद खास स्कीमों को हमारे राज्य के ६ जिलों के उन ताल्लुकों के लिए मंजूर किया है जिनको इस तरह सूखे से हमेशा दो चार होना पड़ता है। अंदाजा यह है कि उन जिलों में ज्यादातर सिंचाई के छोटे कार्यों और ऐसी ही दूसरी तदबीरों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में १२ करोड़ रुपये मंजूर किये जायंगे। इस पूरी रकम में से इस साल के लिए १.३२ करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। सूखे इलाकों की ये खास स्कीमें जिला परिषदों और हमारे महकमों के द्वारा पूरे जोर के साथ आगे बढ़ायी जा रही हैं।

१२. राज्य में दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वर्षा का ९० फीसद पानी हर साल जून से सितम्बर के महीनों में पड़ता है। इस तरह राज्य के बड़े हिस्से को अक्तूबर से मई तक वर्षा का पानी मिलता ही नहीं। वर्षा की इस कमी की वजह से हम मजबूर हैं कि राज्य के इस बड़े हिस्से में केवल सूखी खेती के तरीके अख्तियार करें। हिन्द सरकार ने अब यह मालूम करने के लिए कि सूखी खेती के कौन से तरीके सबसे अच्छे होंगे संशोधन और विकास की एक मरकजी स्कीम तयार की है और चौथी पंच-वर्षीय योजनामें शोलापुर और अकोला के जिलों के लिए दो पाइलौट प्रोजेक्ट मंजूर किये हैं। संशोधन और विकास के तजुर्बे पहले २,००० एकड़ पर किये जायंगे मगर चौथी योजना के खतम तक ये तजुर्बे ८,००० एकड़ पर किये जाने लगेंगे।

१३. हमारे राज्य में जमीन पर बहते हुए पानी के साधन बहुत कम है। माहिरों की राय है कि ऐसे पानी के सारे साधनों को काम में लाया जाय तो काश्त की सारी जमीन के केवल २६ फीसद हिस्से की सिंचाई हो सकेगी। इस तरह कृषि की उन्नति के लिए यह बिलकुल जरूरी है कि हाइड्रो-जिओलाजिस्ट टीमों के द्वारा ऐसे साधनों की भी पूरी खोज की जाय, जो जमीन के अंदर हैं और उसके बाद पीने और सिंचाईके लिये पानी के इन साधनों का ड्रिलिंग के जरिये से पूरा विकास किया जाय। इस काम के लिए शासनने अपने जिओलाजिकल महकमा में एक खास यूनिट बनाया है जो तमाम महकमोंकी जरुरतों की एकसा सरबराही करेगा और जमीन के अंदर के पानी के साधनों और उनके ज्यादा से ज्यादा विकास की एक खास योजना के मुताबिक जांच करेगा। शासन ने यह भी फैसला किया है कि, इसी तरह का एक और यूनिट हमारे खनिज के साधनोंकी भी कोंकण के इलाके में खोज की जाय और राज्य के दूसरे इलाकों में ऐसी ही जांच के लिए जो यूनिट काम कर रहे हैं उनको मदद दे।

१४. एक ऐसा बाजार जहां अच्छी कीमतों पर बिक्री का यकीन हो किसानों को अपनी पैदावार के बढ़ाने की तरफ उकसाता है। अनाज के इजारादारी प्राप्ति की स्कीम से कीमतों को किसानों के हक में वाजिबी दामोंपर रखने में बडी मदद मिलती है। हमारे कृषि मंत्री की सदारत में शासन ने एक कमेटी इस गरजसे बनायी है कि वह दरियाफ्त के बाद सलाह दे कि किसानों को क्योंकर वाजिबी कीमतें मिलने का यकीन हो सके। इस कमेटीने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है जिसपर सरकार गौर कर रही है।

१५. माल के पैदा करनेवाले और उसके खरीदने वाले के दामों में जो बडा अंतर है उसे घटाने और उसका वाजिबी हिस्सा उसके पैदा करने वालों को दिलाने के लिये इस बात पर जोर दिया गया है कि कच्चे माल को सहकारी की बुनियादों पर तैयार किये जाने का विकास

किया जाय। शक्कर की सहकारी गिरनियां इस क्षेत्र में कामयाबी की सबसे अच्छी मिसाल हैं। १९६९ से १९७१ तक ऐसी गिरनियों के लिए १८ नये लाइसेंस दिये गये थे और अब उनकी जुमला तादाद ४८ है। इसी तरह कताई की १९ सहकारी गिरनियां कायम की गयीं जिनमें से १३ तो इस वक्त माल पैदा कर रही हैं और बाकी अगले साल माल पैदा करना शुरु कर देंगी। पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के डेव्हलपमेंट कारपोरेशन की मदद से अगले साल तक ५३०० पावरलूम का एक कॉम्प्लॅक्स भी कायम हो जायगा।

१६. यह हमारा सबसे पहला राज्य है जिसने यह कोशिश की कि खेती के पट्टेदारों का कब्जा महफूज कर लिया जाय और उनका महसूल वाजिबी हो। इस सिलसिले में पहला कानून १९५६ में बनाया गया जिससे जमीन की खेती करने वाला उसका मालिक बन गया। इस तरह ८.७५ लाख पट्टेदार १०.३६ लाख हेक्टर जमीन के मालिक करार दे दिये गये। कृषि के बेजमीन कामगारों को जमीनें बांटने का इंतजाम किया गया है और इस तकसीम में पिछडी जातियों की जरुरतों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है। यह स्कीम १९६० में शुरु की गयी और अभी तक इस तरह ३.७८ लाख हेक्टर बंजर और जंगल की जमीनें बांट दी गयी हैं जिनमें का ७२ फीसद हिस्सा पिछडी जातियों को मिला है। लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत १.१३ लाख हेक्टर जमीन जायद करार दी गयी है। उसमें से २१,९१५ हेक्टर जमीन तकसीम हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि बाकी जमीन को तेजी के साथ अगले साल एक मुकर्रर वक्त के अंदर जरुरतमंदों में बांट दिया जाय।

१७. देहाती आबादी को पीने के लायक काफी पानी का पहुंचाना लोगों की सेहत के लिए जरुरी है जिसके अलावा साफ पानी से वह बीमारियां भी कम हो जाती हैं जो मैले पानी से फैल सकती हैं। ऐसे साफ पानी के नजदीक में मिल जाने से लोग यह भी जान लेते हैं कि अब हालात बदल रहे हैं और प्रगति दिखायी देने लगी है। विकास के काम इस तरह जनता की आंखों में माने रखने लगते हैं। साल १९७०-७१ में जिला परिषदोंने २.६ करोड के खर्च से ३,४९४ नयी और ११,२३० अपूर्ण बाउलियों का काम अपने सर लिया जिससे १३,२३६ गांवों को फायदा पहुंचेगा। इस अहम मैदान में काम को और भी ज्यादा फैलाने के लिए शासन ने एल.आई सी. से माली इमदाद लेने का इंतजाम किया है और एल.आय.सी. ने इस ख्याल को मान लिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में देहातों को नल का पानी देने के लिये १० करोड रुपये दिये जाय। इस साल शासन और जिला परिषदों की तरफसे ६८७ ऐसी स्कीमोंपर ५ करोड के खर्चसे काम हो रहा है और एल.आय.सी. ने उसका आधा खर्च दिया है।

१८. नासिक का थर्मल स्टेशन जिसकी कूबत २८० मेगावाट है इसी साल काम करने लगा है। परली के थर्मल स्टेशन पर जिसकी कूबत ६० मेगावाट होगी और जो अगले ६ महीनोंमें तैयार हो जायगा काम जारी है। कोराडी के कोयले के थर्मल स्टेशन पर भी काम आगे बढ रहा है। मार्च १९७० से मार्च १९७१ तक राज्य में बिजली की कूबत १७५० से २०९० मेगावाट को पहुंच चुकी है।

१९. शासन की यह नीति रही है कि देहात की आबादी को पैदावार के बढाने के लिए हर तरह की मदद से और देहात में बिजली पहुंचाना इस नीति का एक जरुरी हिस्सा है। इस काम में

मदद के लिए शासन ने एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन, रुरल एलेक्ट्रीक कारपोरेशन और एग्रीकल्चरल रि-फाईनेंस कारपोरेशन की माली एजिन्सियों को अपने साथ रक्खा है। एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन ने स्टेट एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को जुलाई १९६९ से जून १९७१ के दौरान में ८७,००० कृषि पंपों को बिजली से चलाने के लिए २१ करोड का कर्ज दिया है। बोर्ड ने खुद ७.१ करोड रुपये इस गरज से मंजूर किये हैं कि ११ जिलों में १५,५३१ पंपों और १,०२७ गावों को बिजली पहुंचायी जाय। एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन ने दो जिलों में ८०० पंपों को बिजली से चलाने के लिए ५५ लाख की मंजूरी दी है। इस कारपोरेशन की मंजूर की हुई स्कीमों पर बडे जोर से काम चल रहा है और ८७,००० पंपोंके लक्ष्य में से अभी तक ६५,००० के लगभग पंप बिजली से चलाये जाने लगे हैं। बोर्ड की स्कीम भी कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ रही है और आशा है कि इस महीने के ही अखिर तक १२,५०० गांवों को बिजली मिलने लगेगी और २ लाख २१ हजार १ सौ पंप बिजली से चलने लगेंगे। उन सारी स्कीमों के अलावा जिनकी एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन ने मदद की है रत्नागिरी, कोलाबा, थाना, भंडारा और चांदा के पिछड़े जिलों में बिजली को पहुंचाने के लिए खास गुंजाइश रखी गयी है।

२०. बेसिन खाड़ी का पुल इसी साल खुल गया है और उस पर ट्राफिक चलने लगी है। उस पुल से बंबई और अहमदाबाद का फासला १२ मील कम हो गया है। थाना खाड़ी का पुल तैयार होने को है और इस वक्त तो आशा है कि जून १९७१ तक वह भी तैयार हो जायेगा। चौथी योजना में सड़कों को बनाने के लिए कुल ५८ करोड़ रुपये रखे गये हैं जिनका १८ फीसद पहाड़ी और ऐसे इलाकों में सड़कें बनाने पर सर्फ होगा जहां पहुंचना दुश्वार है। नेशनल हाईवे को नया करने और बंबई और पूना के दरम्यान हाईवे को ट्राफिक की चार कतारों के काबिल बनाने की स्कीमों पर हिन्द सरकार की मदद से वर्ल्ड बैंक और IDA में गौर हो रहा है।

२१. पैसे की कमी के कारण सरकारी इमारतों और सरकारी मुलाजिमों के रहने के मकानों पर खर्च का घटाना जरूरी हो गया है। बम्बई महानगरी में दफ्तरों के किराये के मकानों पर बहुत रुपया सर्फ होता है। इस बोझ को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है कि २.२६ करोड़ की लागत से तीन कई मंजिल वाली इमारतें दफ्तरों के लिए बनायी जाय। माननीय सदस्यों को मालूम है कि नागपुर में आमदार निवास का पहला चरण पूरा हो चुका है और दिसम्बर १९७० से वह इस्तेमाल में आने लगा है। इस निवास के बाकी हिस्से पर काम हो रहा है। हम सब जानते हैं कि विधान मंडल की जरुरतों के लिए इस वक्त जो काउन्सिल हाल है वह बस नहीं होता। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि सचिवालय के पास नये काउन्सिल हाल का काम शुरु हो चुका है।

२२. सरकारी क्षेत्र के चार निगम यानी MIDC, MSFC, SICOM और MSSIDC राज्य के उद्योग की प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने में बड़ा हिस्सा लेते जा रहे हैं। विदर्भ, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों में औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए तीन निगम एक एक करोड के सरमाये से बनाये गये हैं। ये मराठवाडा डेवलोपमेंट कारपोरेशन के अलावा हैं जो चंद साल से काम कर रहा है। आशा है कि ये निगमें इन इलाकों की औद्योगिक प्रगति की रफ्तार को बहुत बढ़ा देंगे।

२३. राज्यके १३ जिले यानी बीड, उस्मानाबाद, भण्डारा, रत्नागिरी, औरंगाबाद, यवतमाल, चांदा, धुलिया, बुलढाना, नांदेड, परभणी, जलगाव, और कोलाबा उद्योग के एतबार से पिछड़े करार दिये गये हैं ताकि उनको रियायती दरों पर कर्ज लेने का हक मिल सके । रत्नागिरी जिले का इस और रियायत के लिए भी चुनाव हुआ है कि उसे हिन्द सरकार की तरफ से एक मुश्त ग्रांट दिया जाय। यह इमदाद नयी यूनिटों पर जो पूंजी लगायी जाती है उसके दसवें हिस्से के बराबर होगी ।

२४. मशीनरी के पुराने हो जाने के कारण कपड़े की बहुतसी गिरनियाँ घाटे में चल रही थीं। चूंकि इन गिरनियों से केंद्र में बहुत से औद्योगिक कामगारों को काम मिलता था इसलिए सरकार उनको बंद करने की इजाजत नहीं दे सकती थी जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते । शासन ने इस तरह २० गिरनियों को खुद चलाना शुरू किया जिनमें से दो तो सरकारी थीं। इन गिरनियों से कुल ४०,००० मजदूर काम पर लगे हुए हैं। ये गिरनियाँ असल में बीमार गिरनियों की तरह हैं और उनको चलाते रहने को गोया बेरोजगारी सहायता का काम समझना चाहिए बरना उनका असल हल तो यह है कि उनकी मशीनरी और कल-पुर्जों को बिलकुल बदल दिया जाय। नये बनानेके ऐसे काम को शोलापूर की नरसिंह गिरजी गिरनी में शुरू किया गया है जिसका ४.१० करोड़ रुपये के खर्च से अगले साल नवीकरण किया जायगा। इसी तरह इन्दू गिरनी को भी नये कर देने की स्कीम के लिए २.२० करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

२५. घरबनाई के लिए एक अलग महकमा एकही नियंत्रण के तहत इसी साल से काम करने लगा है। किराये की नई इमारतों को तेजी के साथ बनाने के लिए शासन ने फैसला किया है कि हिन्द सरकार के साथ होकर एक प्री-फेब्रीकेटेड हाऊसिंग फैक्टरी कायम की जाय। एक और स्कीम एक बड़े पैमाने पर झोपड़-पट्टियों को हटा देने और उनमें रहने वालों को किसी अच्छे पड़ोस में मुनासिब जगहों में रहने के लिए बनायी गयी है ताकि माहिम कॉजवे से शांताक्रुझ एयरपोर्ट तक पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के झोपड़ पट्टीवाले बेहतर हालत में रह सकें। इस काम के शुरू करने के लिए हिन्द सरकार ५ करोड़ की पूंजी देने पर राजी हो गयी है। इसके अलावा बंबई बिल्डिंग रिपेयर्स एण्ड रिकन्सट्रक्शन बोर्ड का इरादा है कि अगले साल १,२०० इमारतों की मरम्मत और २० इमारतों का नवीकरण किया जाय।

२६. फरवरी १९७० में शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में शासन ने जो अपनी नीति का बयान दिया था उसपर बराबर काम हो रहा है। अब इरादा है कि चंद चुनी हुए पंचायतों और खानगी एजेंसियों को उत्साहित किया जाय कि वह ५ हजार से कम के गांव और शहरों के झोपड़-पट्टी इलाकों में प्री-प्राइमरी मदरसे चलायें। प्राइमरी और सेकेंडरी मदरसों में शिक्षा के प्रकार को बेहतर बनाने के लिए चंद नयी तदबीरें अख्तियार की जायगी। इस वक्त इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि पॉलिटक्नीक और औद्योगिक ट्रेनिंग की संस्थाओं में पाठ्यक्रमों को इस तरह नया रुप दिया जाय कि उनसे उद्योग के कारखानों और सरविस के केंद्रों में नौकरी की खपत हो सके।

२७. इस साल एक बड़ा काम यह हुआ कि ५० खाटों के दो चलत् अस्पताल बनाये गये हैं जिनमें से एक औरंगाबाद और दूसरा नागपूर के मेडीकल कॉलेज के सिपुर्द किया गया है। इस स्कीम से स्पेशलाइज्ड मेडीकल उस्तादों को मौका मिल रहा है कि वह इन्टर्न और एम. बी. बी. एस. के आखिरी साल के विद्यार्थियों के साथ देहात में रहकर अपने से मेडीकल खिदमत अंजाम दें। परिवार नियोजन के मैदान में राज्य ने अपना ऊंचा रिकॉर्ड कायम रख्खा। जनवरी १९७१ में सरकारी मुलाजिमों और गैर-सरकारी काम करने वालों को खास इनाम देकर एक बड़ी मुहीम चलायी गयी और एक महीने में ५०,००० आदमी बांझ किये गये जो इस क्षेत्र में बड़ा नुमाया काम हैं।

२८. महाराष्ट्र मथाडी हमालस् एण्ड वरकर्स ऐक्ट के तही मजदूरों की हिफाजत के लिए जो माल चढ़ाने उतारने और तौलने का काम करते हैं और ऐसे ही उन मजदूरों के बचाव के लिए जो लोहे और इस्पात के कारखानों, किराना बाजारों और दूकानो में काम करते हैं कई स्कीमें बनायी गयी हैं। बम्बई शहर के उन मजदूरों के लिए भी जो इसी तरह ट्रान्सपोर्ट की गाड़ियों पर सामान चढ़ाने उतारने और कपड़े के बाजार या दूकानों में काम करते हैं मगर अभी तक वारदात के जोखिम से बचाये नहीं गये हैं ऐसी ही स्कीमें तैयार की गयी हैं। सामान की गाड़ियों के ऐसे मजदूरों की स्कीम अगली मई से और दूसरे मजदूरों की स्कीम अगले जून से जारी कर दी जायगी।

२९. टुरिज्म् के लिए जो नया महकमा बनाया गया है वह एरंगाल को समुद्री तफरी की जगह बनाने, एलिफेन्टा में नयी आसानियों का इंतजाम करने और छुट्टी के केम्पों को बेहतर बनाने की कई तदबीरों पर काम कर रहा हैं।

३०. क्रीडा और संस्कृति के लिए जो नया महकमा कायम हुआ है उसने भी कई स्कीमें मदरसों और कॉलेजों में नये हुनर की दरयाफ्त और उनके उत्साहित करने के लिए बनायी हैं। आरे की दूध की कॉलोनी के पास एक फिल्मनगर के बनाने की तजबीज को भी अमल में लाया जा रहा हैं।

३१. बंबई की महानगरी में एक तरफ घनी आबादी और आर्थिक कार्योका दबाब है और दूसरी तरफ बुनियादी आसानियों तक के बढ़ाने का माली बोझ शासन के साधनों से बहुत ज्यादा है। इन मजबूरियों को जानते हुए शासन ने फैसला किया है कि पनवेल, थाना, उरण की खाड़ी के पास एक नया शहर बसाया जाय। ये जुड़वा शहर न फकत बंबई के जजीरे की घनी आबादी ही को फेर देगा बल्कि नयी बस्ती में सहायक उद्योगों के विकास से खुद उद्योग के धन्धों को बाट देने में मदद देगा। पोर्ट ट्रस्ट अॅथारिटी की यह कोशिश है कि नवाशेवा बन्दरगाह को जो खाड़ी के उसपार है और जिसका ४२ फीट का खिचाव है बढ़ाया जाय जिससे कि बंबई के मौजूदा बंदरगाह पर दबाव है, घट जायगा। इस कदम से कोंकण के पिछड़े इलाके के आर्थिक विकास में भी तेजी पैदा हो जायगी। CIDCO ने जिसको नये शहर का विकास सौंपा गया है इस काम की जिम्मेदारी ली है कि जुड़वा शहर के लिए बाज मशहूर आर्किटेक्टस् की मदद से एक मास्टर प्लान बनाये। नये शहर की जरुरत और फायदे से किसी को इन्कार नहीं हो सकता मगर

उसके साथ साथ हम जानते हैं कि उससे इस इलाके की कृषिक आबादी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। सरकार ने उसको आश्वासन दिया है कि ऐसी मुश्किलों पर हमदर्दी के साथ गौर किया जाय और CIDCO ने अभी से इन लोगों के लिए टेक्नीकल और मुलाजिमत की ट्रेनिंग और नौकरी पर लगाये जाने की स्कीमें तैयार की हैं। शासन को विश्वास है कि कृषिक आबादी का यह विस्थापन आरजी होगा और आगे चलकर खुद ये लोग उन दूसरों की तरह जो बंबई से फिर चुके होंगे इस जुड़वा शहर के बनने से फायदा उठायेंगे।

३२. सरकार ने हमेशा अपने मुलाजिमों की जायज शिकायतों पर हमदर्दी के साथ विचार किया है मगर विकास की सबसे अव्वल जरुरतें और माली दुश्वारियां इस बात में रुकावट पैदा करती है कि वह अपने मुलाजिमों के हक में वह सब कुछ करें जो सारी जनता के साथ अपना फर्ज अदा करते हुए उससे हो सकता है। मुलाजिमों की कई मांगों पर गौर हो रहा था। मुझे खुशी है कि अब इनमें से सबसे अहम मुतालिबे सरकार और मुलाजिमों की रजामंदी से तय हो चुके हैं। मुझे आशा है कि सरकारी मुलाजिम अपनी खिदमत को फकत नौकरी नहीं बल्कि जनता की खिदमत का मौका भी समझेंगे और उसका ख्याल करते हुए एक तरफ तो अपने काम को खूबी और अच्छे ढंग से अंजाम देंगे और दूसरी तरफ बजाय हमेशा यह पूछने के कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है वह सही जजबे के साथ अपने से भी यह पूछेंगे कि वह खुद राज्य और जनता के लिए क्या कर सकते हैं।

३३. माननीय सदस्यों को मालूम है कि महाराष्ट्र और मैसूर की सरहद के सवाल पर हिंन्द सरकार एक जमाने से गौर कर रही है। पार्लियामेंट के पिछले सेशन में उसने इस मसले को पार्लियामेंट ही के सुपुर्द करने का पहला कदम उठाया। हमको आशा है कि जैसे ही नयी लोक सभा बनेगी यह सवाल वहां तय कर दिया जायगा और एक ऐसा फैसला होगा जो सरहदी इलाके की जनता के हक में फायदामंद साबित होगा।

३४. अगरचे कि विधान मंडल के मौजूदा इजलास में १९७१-७२ के बजट के अंदाजों ही पर सबसे ज्यादा सोच विचार होगा और उनको मंजूर करने की कारवाई की जायगी मगर उनके अलावा शासन की तजवीज है कि इसी इजलास में बाज कानून के मसविदे भी गौर और मंजूरी के लिए पेश किये जाय और वो ये हैं :—

1. The Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayukta Bill.
2. The Maharashtra Land Revenue Code (Amendment) Bill, 1971.
3. Indian Stamp Act, 1899 and the Hyderabad Stamp Act, 1331-F (Amendment) Bill.
4. The Cotton Procurement Bill.
5. A Bill to amend sub-section (5) of Section 33 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961.

6. A Bill to amend section 8A of the Bombay Police Act, 1951 to provide for the elevation of Superintendent of Wireless as Deputy Inspector General of Police.
7. A Bill to amend section 6(*2*) of the Bombay Police Act, 1951, empowering Government to appoint Special Inspector General of Police.
8. A Bill to amend the Land Acquisition Act, 1894, to amend section 4 to take power to Special Land Acquisition Officer to start acquisition proceedings.
9. A Bill to amend the Bombay Sales Tax Act, 1959.
10. A Bill to amend the Bombay Municipal Corporation Act to provide for superseding the B. E. S. T. Committee for non-payment of passenger tax to Government.
11. A Bill to amend the Maharashtra Medical Practitioners' Act, 1961, so as to charge permanent registration fee of Rs. 50 replacing the provision for renewal of registration.
12. A Bill to amend the Bombay Municipal Corporation Act. (to empower the Commissioner to take necessary action even amounting to forfeiture in case of unlawful encroachments on municipal land)
13. Amendment to sections 351 and 354-A of the Bombay Municipal Corporation Act. (in order to enable the Municipal Commissioner to take speedy action to demolish unauthorised structures on the lands within the municipal jurisdiction without obtaining approval of the Standing Committee)
14. The Bombay Rents, Hotel and Lodging House Rates Control (Amendment) Bill.
15. A Bill to amend the Gas Companies Act, 1863, to enable the tenant to obtain Gas connections without the consent of the landlord.
16. A Bill to repeal the Bombay Buildings (Control on Erection, Re-erection and Conversion) Act, 1948.

17. A Bill to amend the Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1963.
18. A Bill to amend the Maharashtra Agricultural University (Krishi Vidyapith) Act, 1967, and the Punjabrao Agricultural University (Krishi Vidyapith) Act, 1968, and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, to provide for transferring the Agricultural Schools to Universities.
19. The Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Bill 1971 (Conversion of Ordinance).

३५. माननीय सदस्यो, मैंने आपसे उन नीतियों और उपायोंका जिक्र किया है जिनको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास के जल्द से जल्द हासिल करने के लिए शासन ने आपकी मदद से अब तक आगे बढ़ाया है और अब और भी आगे बढाना चाहता है। मैं अब आपको आपके कामों पर इस आशा के साथ छोड़ता हूँ कि आपकी कोशिश महाराष्ट्र के विधान मंडल की ऊंची परंपरा और नामको और भी उजागर करेगी।

● ● ●